

1

प्रमुख,

श्री ज्योति बागुली,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन।

शेवा में

शिक्षण
प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा विभाग-2 समुदाय,
सीएच विहार नई दिल्ली।

73 अनुभाग

संज्ञक: शिक्षा: नवम्बर, 1993

विषय:-

स्वयं सहायता समूहों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन के लिए नगरों को सीएच विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव पत्र दिने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्वयं सहायता समूहों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन के लिए नगरों को सीएच विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव पत्र दिने जाने में उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति आवश्यक नहीं है।

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीमाओं का तथ्य तथ्य पर नवीनीकरण कर दिया जाएगा।
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे और उनसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तय किए गए विद्यालयों में निर्धारित सीमाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 4- तथ्य द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय राज्य शिक्षा परिषद से/केन्द्रिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय समुदाय के माध्यमिक शिक्षा परिषद/की शिक्षा फंड से/केन्द्रिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित होने की स्थिति में परिसर से/केन्द्रिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित होने की स्थिति में परिसर से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- तथ्य के लिए स्वयं सहायता समूहों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के समूहों को अनुदान देना माना गया तथा अन्य संस्थाओं से कम वेतनमान तथा अन्य मांगें नहीं की जायेंगी।
- 6- संस्थाओं को सेवा नहीं कराया जायेगा और उन्हें सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

7- राज्य सरकार द्वारा सभ्य सभ्य घर को भी आदेश निकाला जायेगा कि उनका वापस करेगी ।

8- विद्यमान वा रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में-राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिश्रम/संशोधन वा परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यमान द्वारा प्राप्त की गई निजी भूमि पर मानकानुस्य विद्यालय भवन का निर्माण करवा कर शासन को 3 वर्ष के भीतर अद्यतन कराया जायेगा ।

3- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य विद्यमान में अधिक वा अन्य वैतनिक कार्य के पद पर नियुक्त न किया जायेगा ।

4- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में क्ति प्रकार की पूर्ण वा शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। ज्योति बागुली ।
उप निदेशी ।

पु.सं. 4505111/15-7-1993 तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपचार्य सर्व आवश्यक कार्यवाही